[2022] 4 एस. सी. आर 835

ए.

यशपाल सिंह

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. (2022 की आपराधिक अपील संख्या 1509) 15 सितंबर, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और कृष्णा मुरारी**,** जे**.** जे**.]**

जमानत-रद्द करना-कथित रूप से प्रत्यर्थी नं.2-मूल अभियुक्त और मूल मुखबिर-शिकायतकर्ता-यह भी आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त व्यक्तियों ने मुखबिर और अन्य व्यक्तियों पर हमला किया था-उक्त घटना में मुखबिर के भाई की मौके पर ही मृत्यु हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए-प्राथमिकी दर्ज की गई-प्रत्यर्थी नं।2 गिरफ्तार किया गया-प्रत्यर्थी नं.2 ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था-उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी नं. 2 जमानत पर-वादी ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और जमानत देने की वैधता को चुनौती दी-आयोजितःकि घटना के दिन आरोपी व्यक्तियों द्वारा विवादित भूमि पर खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलाया गया था और सभी आरोपी व्यक्ति हथियारबंद थे-मुखबिर और अन्य लोग मौके पर जमा हो गए और आरोपी व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया और उक्त घटना में मुखबिर के भाई की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए-उक्त पहलू पर उच्च न्यायालय ने जमानत देते समय कोई कारण नहीं बताया था-अभियुक्त की यह दलील कि काली रात थी, इसलिए, अभियुक्त की पहचान करना संभव नहीं था, उच्च न्यायालय ने बिना कोई कारण बताए स्वीकार कर लिया-हालाँकि, अभियुक्त व्यक्तियों को सूचना देने वाले को पता था क्योंकि पिछली दुश्मनी थी-साथ ही, सूचना देने वाले ने विशेष रूप से प्राथमिकी में अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया था।147, 148, 149, 324, 427, 441, 323, 506, 447, 307, 302 और 34.

जी.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** इस अदालत ने एफ**.** आई**.** आर**.** में लगाए गए आरोपों का अध्ययन किया है। प्रत्यर्थी सं**. 2** के बीच भूमि विवाद

एच.

835 ए.

836 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 4 एस. सी. आर.

मूल अभियुक्त और सूचना देने वाला-शिकायतकर्ता पक्ष उद्देश्य है।एफ़**.** आई**.** आर**.** में आरोप लगाया गया है कि पिछली रात उन्होंने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर को कुचल दिया और अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की।इसके बाद जब मुखबिर और अन्य लोग मौके पर एकत्र हुए तो प्राथमिकी में नामित अभियुक्त व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया और उक्त घटना में मुखबिर के भाई की मृत्यु हो गई और अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए।उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या **2** को जमानत पर रिहा करते समय उपरोक्त पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या **2** को जमानत पर रिहा करते समय कोई कारण नहीं बताया गया है।जब अभियुक्त व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता सी**.** की धारा **147,148,307,302** और अन्य अपराधों के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है**,** जिसे बहुत गंभीर अपराध कहा जा सकता है**,** तो उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या **2** को जमानत पर रिहा करते समय अभियुक्त और राज्य की ओर से की गई दलीलों का वर्णन करने के अलावा ठोस कारण देने चाहिए थे**,** उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या **2** को जमानत पर रिहा करते समय कोई और स्वतंत्र कारण नहीं दिया गया है।**[**पैरा **4] [838-**डी-एफ**]**

2. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि एक अंधेरी रात थी**,** इसलिए अभियुक्त और/या हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान करना संभव नहीं था और ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोई ठोस कारण बताए उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इसे स्वीकार कर लिया है। हालाँकि**,** यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अभियुक्त व्यक्ति वादी को जानते थे।पहले से दुश्मनी थी।वे एक ट्रैक्टर से आए थे।इसलिए**,** इस स्तर पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था और/या यह राय नहीं दी जा सकती थी कि आरोपी की पहचान करना संभव नहीं था।जो भी हो**,** अन्यथा भी**,** उपरोक्त को अभियुक्त की ओर से बचाव कहा जा सकता है**,** जिस पर मुकदमे के समय विचार किया जाना आवश्यक है।वर्तमान मामले में एफ**.** आई**.** आर**.** में घायल-मुखबिर-वादी ने विशेष रूप से अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया है।यहां तक कि सी**.** आर**.** पी**.** सी**.** की धारा **161** के तहत दर्ज अपने बयान में भी सूचना देने

वाला एफ. आई. आर. में जो कहा है, उस पर कायम है। इन परिस्थितियों में, जब उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों की प्रकृति और अपराधों की गंभीरता और गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या **2-**अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय कोई कारण नहीं दिया गया है, तो उच्च न्यायालय ए द्वारा विवादित निर्णय और आदेश पारित किया गया है।

जी.

एच.

837

यशपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर.

प्रत्यर्थी संख्या **2** को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देना अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया गया और अलग कर दिया गया।**[**पैरा **4.1] [838-**जी**-**एच**;** ए**-**सी**]**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 1509।

आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 18.01.2022 दिनांकित निर्णय और आदेशों से।2021 का जमानत आवेदन संख्या 49828।

सुश्री अमिता सिंह कल्कल, सुश्री अदिति गुप्ता, देवव्रत प्रधान, नरेंद्र कौशिक, श्रीजी भावसर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

विनोद दिवाकर, ए. ए. जी., सर्वेश सिंह बघेल, बी. एन. दुबे, अक्षय सक्सेना, नितिन सलूजा, वरुण पंडित, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित अंतिम निर्णय और दिनांक 18.01.2022 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।2021 का जमानत आवेदन संख्या 49828, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 2-मूल अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 147,148,149,324,427,441,323,506,447,307,302 और 34 के तहत

दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन फलावदा, जिला मेरठ के मामले अपराध संख्या 2021 के 95 में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है, मूल सूचना देने वाले-मूल वादी ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।2. शुरुआत में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 और अन्य को विशेष रूप से प्राथमिकी में नामित किया गया था। प्रत्यर्थी नंबर 2-मेहताब और वादी पक्ष के बीच भूमि विवाद चल रहा था।अपीलार्थी द्वारा दी गई एफ़. आई. आर. में यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि मुखबिर-यशपाल सिंह के कब्जे वाली भूमि का भूमि विवाद आरोपी मेहताब और दीपक के खिलाफ अदालत में लंबित था।यह भी आरोप लगाया गया कि आई. डी. 1 की दरम्यानी रात को विवादित भूमि पर खड़ी फसलों पर एक ट्रैक्टर को आरोपी व्यक्तियों द्वारा कब्जा करने के इरादे से चलाया गया और ये सभी आरोपी व्यक्ति पिस्तौल, लाठी, लोहे की छड़ आदि से लैस थे। यह भी आरोप लगाया गया कि मुखबिर अपने परिवार के सदस्यों और गांव के लोगों के साथ मौके पर आया और उस समय आरोपी व्यक्तियों ने हत्या करने के इरादे से उन पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप मुखबिर के भाई सोमपाल की मौके पर ही मौत हो गई और सुंदर, नरेश, मोहित, लवकुश और

अंकुश गंभीर रूप से घायल हो गया।यह भी आरोप लगाया गया कि आरोपी विकास उर्फ पप्पु ने मृतक पर गोली चलाई और आरोपी व्यक्ति जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। अनुसंधान के दौरान, घायल चश्मदीद गवाह-अपीलार्थी का बयान दर्ज किया गया है और उन्होंने एफ़. आई. आर. संस्करण का समर्थन किया है।

2.1 इसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपनी गिरफ्तारी के बाद और विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा उसकी जमानत खारिज किए जाने के बाद, वर्तमान जमानत आवेदन के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।अभियुक्त द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता और/या गंभीरता पर विचार किए बिना, विशेष रूप से प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा किए गए अपराधों की गंभीरता पर विचार किए बिना और बिना कोई कारण बताए, प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत

पर रिहा कर दिया गया है।3. हमने संबंधित पक्षों की ओर से विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से उपस्थित होते हुए सुना है।

4. हमने एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों का अध्ययन किया है। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि प्रत्यर्थी संख्या 2-मेहताब और वादी पक्ष के बीच भूमि विवाद का उद्देश्य है। एफ़. आई. आर. में आरोप लगाया गया है कि पिछली रात उन्होंने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर को कुचल दिया और अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश की।इसके बाद जब मुखबिर और अन्य लोग मौके पर एकत्र हुए तो प्राथमिकी में नामित अभियुक्त व्यक्तियों ने उन पर हमला कर दिया और उक्त घटना में मुखबिर के भाई की मृत्यु हो गई और अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए।उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय उपरोक्त पहलू पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय कोई कारण नहीं बताया गया है।जब अभियुक्त व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 147,148,307,302 और अन्य अपराधों के तहत मुकदमे का सामना कर रहा है, जिसे बहुत गंभीर अपराध कहा जा सकता है, तो उच्च न्यायालय को प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय अभियुक्त और राज्य की ओर से की गई दलीलों का वर्णन करने के अलावा ठोस कारण देने चाहिए थे, उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करते समय कोई और स्वतंत्र कारण नहीं दिया गया है।

4.1 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश से ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की ओर से यह प्रस्तुत किया गया था कि एक अंधेरी रात थी, इसलिए अभियुक्त और/या हमला करने वाले व्यक्ति की पहचान करना संभव नहीं था और ऐसा प्रतीत होता है कि बिना कोई ठोस कारण बताए उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इसे स्वीकार कर लिया है। हालाँकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अभियुक्त व्यक्ति वादी को जानते थे।पहले से दुश्मनी थी।वे एक ट्रैक्टर से आए थे।

जी.

एच.

839

यशपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और ए. एन. आर. [एम. आर. शाह, जे.]

ए.

इसलिए, इस स्तर पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता था और/या यह राय नहीं दी जा सकती थी कि आरोपी की पहचान करना संभव नहीं था।जो भी हो, अन्यथा भी, उपरोक्त को अभियुक्त की ओर से बचाव कहा जा सकता है, जिस पर मुकदमे के समय विचार किया जाना आवश्यक है।वर्तमान मामले में एफ. आई. आर. में घायल-मुखबिर-वादी ने विशेष रूप से अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया है।यहां तक कि सी. आर. पी. सी. की धारा 161 के तहत दर्ज अपने बयान में भी सूचना देने वाला एफ. आई. आर. में जो कहा है, उस पर कायम है। इन परिस्थितियों में, जब उच्च न्यायालय द्वारा आरोपों की प्रकृति और अपराधों की गंभीरता और गंभीरता पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है और उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2-अभियुक्त को जमानत पर रिहा करते समय कोई कारण नहीं बताया गया है, तो उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने का निर्देश देने वाला विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और खारिज करने का अधिकार है।

5. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील सफल होती है।भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 147,148,149,324,427,441,323,506,447,307,302 और 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन फलावदा, जिला मेरठ के मामला अपराध संख्या 2021 के 95 के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 2 को जमानत पर रिहा करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। अब, प्रत्यर्थी संख्या 2-अभियुक्त को संबंधित जेल प्राधिकरण के समक्ष तुरंत आत्मसमर्पण करना होगा।तदनुसार वर्तमान अपील की अनुमति है।

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

जी.

एच.